प्रेस–विज्ञप्ति

दिनांक 11–05–2019 दिन शनिवार जनपद लखनऊ।.

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 14 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनाँक 10/11–05–2019 की रात्रि में विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में थाना हजरतगंज 04, बन्थरा 04, ठाकुरगंज 01, बाजारखाला 01, पी0जी0आई0 01, बी0के0टी0 01, माल 02 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 14 अभियुक्त गिरफ्तार।

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

माल:–दिनांक 10–05–2019 को एस0आई0 श्री ओमप्रकाश तिवारी थाना माल लखनऊ द्वारा मय हमराही फोर्स के दौराने गस्त अभि0 1–अनुज कुमार कश्यप पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम अऊमऊ थाना माल लखनऊ 2–सुरेश गुप्ता पुत्र रामेश्वर गुप्ता निवासी ग्राम अऊमऊ थाना माल लखनऊ को ग्राम खखरा से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से क्रमशः–15–15 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुआ। इस सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया।

अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार।

ठाकुरगंज:–दिनांक 10–05–2019 को एस0आई0 श्री अवनीश सिंह, महिला एस0आई0 अनुराधा थाना ठाकुरगंज लखनऊ द्वारा मय हमराही फोर्स के दौराने गस्त अभि0 1–श्रीमती अंजू निषाद पत्नी गुड्डू उर्फ चिरैया निवासी गऊघाट थाना ठाकुरगंज लखनऊ को गऊघाट से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 13 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुआ। इस सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त गिरफ्तार।

ठाकुरगंज:–दिनांक 11–05–2019 को थाना ठाकुरगंज द्वारा बताया गया कि दिनांक 08–05–2019 को वादी निवासी ठाकुरगंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ द्वारा थाना ठाकुरगंज पर अपनी 08 वर्षीय पुत्री के सम्बन्ध में धारा 354/452 भादवि व धारा 07/08 पोस्को एक्ट का अभियोग बनाम 1–अनूप के विरुद्व पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री मनोज कुमार थाना ठाकुरगंज लखनऊ द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दिनांक 10–05–2019 को एस0आई0 श्री मनोज कुमार थाना ठाकुरगंज लखनऊ द्वारा मय हमराही फोर्स के उपरोकत मुकदमें के नामजद अभियुक्त 1–अनूप पुत्र रामगोपाल निवासी ठाकुरगंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ को मुखबिर की सूचना पर जागर्स पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्व थाना ठाकुरगंज पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

भा0द0वि0

इन्दिरानगर:–दिनांक 11–05–2019 को थाना इन्दिरानगर द्वारा बताया गया कि वादी श्री लक्ष सिंह पुत्र ओमवीर सिंह निवासी प्लाट 43ए आस्था बिहार कालोनी तकरोही थाना इन्दिरानगर लखनऊ ने थाना इन्दिरानगर पर सूचना दिया कि दिनांक 04–05–2019 को वादी अपनी मां के साथ जनपद बरेली गया हुआ था। दिनांक 10–05–2019 को जब वादी अपने मकान पर वापस आया तो देखा कि घर का दरवाजा खुला मिला, और घर के अन्दर जाकर देखा तो दरवाजे के ताले टूटे हुए थे। वादी के घर के अन्दर कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर 40 हजार रुपये नकदी व जेवरात व अन्य सामान को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। इस सूचना पर थाना इन्दिरानगर पर मु0अ0सं0 210/2019 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री वीरेश कुमार मो0नं0 7839861007 द्वारा की जा रही है।